49

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3018–एक/2015 – विरूद्ध – आदेश दिनांक – 30–4–2008 – पारित व्दारा – कलेक्टर जिला विदिशा – प्रकरण कमांक 175 बी–121/2007–07

वीरेन्द्र सिंह पुत्र दौलत सिंह
ग्राम हिरनौदा तहसील बासोदा
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– पप्पू पुत्र रामचरण
2– रमेश पुत्र तुलाराम
निवासीगण गाम हिरनौदा तहसील बासोदा
जिला विदिशा मध्य प्रदेश --अनावेदकगण

(आवदेक के अभिभाषक श्री टी0सी0नरबरिया)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री प्रमोद बाबू श्रीवास्तव)
(शासन के पैनल लायर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 4–8–2016 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 175बी–121/2007–07 में पारित आदेश दिनांक 30–4–2008 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार गॅज बासोदा ने प्रकरण कमांक 69 अ–19/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 30–5–2002 से पप्पू पुत्र रामचरण को ग्राम हिरनौदा स्थित भूमि सर्वे कमांक 332/1 रकबा 0.836 हैक्टर एंव अनावेदक

रमेश पुत्र तुला को भूमि सर्वे कमांक 332/2 रकबा 0.836 हैक्टर का पट्टा प्रदान किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, बासोदा के समक्ष अपील होने पर प्र0क0 29/2002-03 में पारित आदेश दि. 29-8-2003 से अपील निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर विदिशा के यहॉ निगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 5/03-04 में पारित आदेश दि. 13-9-04 से निगरानी इस आधार पर निरस्त की गई कि निगरानी सुनने के अधिकार अपर कलेक्टर को नहीं है पीढ़ित पक्ष सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर सकता है।

बीरेन्द्र सिंह पुत्र दौलत सिंह ने कलेक्टर चिदिशा के समक्ष अनियमित भूमि आवंटित करने की शिकायत की, जिसे कलेक्टर विदिशा व्दारा पत्र दि. 23-9-04 से तहसीलदार बासोदा को जॉच हेतु भेजा। तहसीलदार ने जॉच कर अनुविभागीय अधिकारी बासोदा के माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर कलेक्टर विदिशा ने प्रकरण कमांक 175 बी-121/ 2007-07 पॅजीबद्ध किया एंव आदेश दिनांक 30-4-2008 पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर कलेक्टर के आदेश जीवित होना अंकित करते हुये प्रकरण समाप्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने गये एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक ने तर्क दिया है कि अपर कलेक्टर विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 5/03-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-9-04 अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पर स्टेण्ड हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अनावेदक के अभिभाषक व्दारा

प्रस्तुत तर्क पर विचार करने पर स्थिति यह है कि अपर कलेक्टर ने अधिकारिता न होने के आधार पर निगरानी निरस्त की है एंव विचाराधीन निगरानी कलेक्टर जिला विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 175बी-121/2007-07 में पारित आदेश दि. 30-4-2008 के विरूद्व है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी गॅज बासोदा के प्रकरण कमांक 29/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनॉक 29-8-2003 एंव तहसीलदार गॅज बासोदा के प्रकरण कमांक 69 अ-19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 30-5-2002 का संदर्भ दोहराते हुये प्रकरण निरस्त किया है। राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रकरण में समस्त तथ्य समाहित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों में आये समस्त तथ्य खुल चुके हैं जिसके कारण पक्षकारों को न्यायदान के उद्वेश्य से विचार कर न्याय प्रदान करना लाजमी है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन सेयह सही है कि तहसीलदार गॅज बासोदा ने प्रकरण कमांक 69 अ-19/ 2001-02 में पारित आदेश दिनांक 30-5-2002 से पप्पू पुत्र रामचरण को ग्राम हिरनौदा स्थित भूमि सर्वे कमांक 332/1 रकबा 0.836 हैक्टर एंव रमेश पुत्र तुला को भूमि सर्वे कमांक 332/2 रकबा 0.836 हैक्टर का पटटा प्रदान किया है एंव अनुविभागीय अधिकारी गॅज बासोदा ने प्रकरण कमांक 29/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनॉक 29-8-2003 से अपील निरस्त करते हुये तहसीलदार के पटटा आदेश को विधिवत् माना है जबकि अनुविभागीय अधिकारी गॅज बासोदा ने तहसीलदार बासोदा के जॉच प्रतिवेदन दिनॉक 16-1-2006 को कलेक्टर विदिशा को अग्रेषित कर बताया है कि रमेश पुत्र तुला

के नाम भूमि आवंटन के पूर्व स्वयं के नाम की भूमि एंव पिता से हिस्से में प्राप्त हो रही भूमि मिलाकर 1.500 हैक्टर से अधिक भूमि है इसका अर्थ यह हुआ कि भूमि आवन्टन दिनांक 30-5-2002 को रमेश पुत्र तुलाराम भूमिहीन एंव कृषि श्रमिक नहीं था अपितु बन्टन के पूर्व से ही 1.500 हैक्टर से अधिक भूमि धारण किये था । इस तथ्य के अभिज्ञान में होते हुये भी अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के बन्टन आदेश दिनॉक 30-5-2002 को पुष्टिकृत करने में भूल की है क्योंकि कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन में अनुविभागीय अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के ज्ञाप कमांक 14-7/200/7/2-ए/ दिनांक 2-3-2002 के तारतम्य में रमेश पुत्र तुलाराम का पटटा हेतु अपात्र होने से पटटा निरस्ती योग्य है। स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी गॅज बासोदा का प्रकरण कमांक 29/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनॉक 29-8-2003 दोषपूर्ण है जिसके कारण ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही तहसीलदार गॅज बासोदा व्दारा प्रकरण कमांक 69 अ-19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 30-5-2002 से अनावेदक कमांक 2 रमेश पुत्र तुला को अपात्र होते हुये भी भूमि सर्वे कमांक 332/2 रकबा 0.836 हैक्टर का पटटा दिया है जिसके कारण तहसीलदार के आदेश दि0 30-5-2002 का अॅश भाग भी निरस्त किये जाने योग्य हैं

6/ तहसीलदार गॅज बासोदा के प्रतिवेदन दिनॉक 15-9-2005 के पद-7 के अवलोकन पर पाया गया कि तहसीलदार ने जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट अंकित किया है कि अनावेदक कमांक-1 पप्पू के पिता रामचरण के नाम ग्राम हिरनौदा में 1.635 हैक्टर भूमि का खाता है अर्थात इस पटटेदार

का परिवार भी भूमिहीन नहीं है जबकि ग्राम में कई कृषि मजदूर (श्रमिक) ऐसे होंगे जिनकी आजीविका का साधन केवल कृषि महजदूरी है इसके वाद भी अनुविभागीय अधिकारी गॅज बासोदा ने प्रकरण कमांक 29/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनॉक 29-8-2003 से तहसीलदार के त्रृटिपूर्ण एंव अपात्र व्यक्ति के हित में जारी बन्टन आदेश दिनॉक 30-5-2002 को पुष्टिकृत करने में भूल की है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 29-8-2003 तथा तहसीलदार गॅज बासोदा के आदेश दिनांक 30-5-2002 का पप्पू पुत्र रामचरण के हित में भूमि बंटन का अॅश भाग निरस्त किये जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 175बी-121/2007-07 में पारित आदेश दिनांक 30-4-2008, अनुविभागीय अधिकारी गॅज बासोदा के प्रकरण कमांक 29/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनॉक 29-8-2003 तथा तहसीलदार गॅज बासोदा व्दारा प्रकरण कमांक 69 अ-19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 30-5-2002 से पप्पू पुत्र रामचरण के हित में भूमि सर्वे कमांक 332/1 रकबा 0.836 हैक्टर एंव रमेश पुत्र तुला को भूमि सर्वे कमांक 332/2 रकबा 0.836 हैक्टर के प्रदत्त पटटे सम्बन्धी अॅश भाग को निरस्त करते हुये शेष भाग यथावत् रखा जाता है ।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर